न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 69/2019

प्रविष्टि दिनांक 12–9–2019

देवा पुत्र माधो जाट निवासी बारेड़ा तह0 निवाई जिला–टोंक राज0
–अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार निवाई जिला– टोक
–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार निवाई दिनांक 16–8–2019 प्रकरण सं0 607/2019

उपस्थिति : (1) श्री सीताराम विजय अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सै0 मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

दिनांक 29–11–2021

निर्णय

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई ने अपने निर्णय दिनांक 16–8–2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 484 रकबा 0.02 है0,वाके ग्राम बारेड़ा तह0 निवाई पर अतिकमण कर पक्की बाउन्ड्री बनाने का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने व 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि तहसीलदार निवाई द्वारा निर्णय से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस नहीं दिया है ओर न ही, अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया है। हल्का पटवारी से जिरह करने का अवसर भी नहीं दिया गया है। जिससे न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्त की अवहेल्ना हुई है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय दोषपूर्ण है ओर निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्व उक्त भूमि पर कब्जा गलत बताया है जबकि अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर कब्जा नहीं [illegible] अपीलान्ट उक्त भूमि पर कोई क्लेम नहीं करता है तथा ना ही भविष्य [illegible] का पश्चातवर्ती कब्जा साबित नहीं है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर महत्ति भूल की है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 16–8–2019 निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:56:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 16–8–2019 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ हे किन्तु उसने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 484 रकबा 7.08 किस्म बारानी में से 0.02 है0,वाके ग्राम बारेड़ा तह0 निवाई पर अतिक्रमण कर पक्की बाउन्ड्री का निर्माण कर लिया है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1063/16 स बाड़ा निर्माण करने पर बेदखल किया गया था। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिकमी साबित है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एंव बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है किन्तु उनके द्वारा किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 484 रकबा 0.02 है0,वाके ग्राम बारेड़ा तहसील निवाई में राजकीय सिवायचक पर पक्की बाउन्ड्री का निर्माण कर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1063/16 से बेदखल किया गया था जो पत्रावली में उपलब्ध पूर्व दस्तावेजों से साबित है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एंव बार–बार अतिकमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 16–8–2019 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29–11–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
(राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:56:13 IST
Reason: SelfAttested